फर्द अहकाम

श्री दीलर बनाम श्री राम व अन्य

नाम न्यायालय

केस संख्या

वाद 586/08

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
साक्षतगण नू. खनीदिन शर्मा	31-10-19	पत्रावली पेश हुई वादीगण के अधिवक्ता उप. जिन्होंने प्रा. पत्र बाबत वाद विड्रा किये जाने पेश किया। वादी अधिवक्ता ने प्रा. पत्र पेश कर निवेदन किया है कि विवादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में मा. उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा अन्तिम रूप से निर्णय हो चुका है तथा वादीगण को अर्जित हिस्से की भूमि प्राप्त हो चुकी है अतः वादीगण वाद को आगे चलाना नहीं चाहते हैं वादीगण के अधिवक्ता द्वारा पेश प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता है एवं विड्रा प्रा. पत्र के आधार पर वाद खारिज किया जाता है वादी द्वारा 5 श्रीजित (सन्तु) देवी उपस्थित पत्रावली न्यायालय से फैसला होकर दाखिल दफ्तर हो
	पुनश्च:	समस्त वादीगण उप. नहीं हैं। अतः पत्रावली पुन: 15-11-19 को पेश हो।
		सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट आमेर मु., जयपुर
	15-11-19	पत्रावली पेश हुई वादी के

श्रीराम वगैरह

विशेष वि

...दीअत के
...होने प्रा-पत्र
...किये जाने पेश
...वक्ता ने प्रा पत्र
...किया है कि
...सम्बन्ध में
...राजीनामा
...है चुका है तथा
...चले भी चुके
...वादीगण वाद को
...चाहते हैं वादीगण
...पेश प्रा-पत्र स्वीकार
...विरुद्ध प्रा-पत्र
...वाद खारिज
...दी के. 5 श्रीराम
...वकील नाहटा से
...दरज हो
...उप० नहीं हैं।
... 15-11-19 को

...जिस्ट्रेट

...दमी वादी के

टिप्पणी (कथित)

धन्नीलाल बनाम श्रीराम वगैरह
वाद 586/08
व वादी अधिवक्ता उप० नहीं है।
[illegible] [illegible] पुकार होने पर भी
है वादी व वादी अधिवक्ता उप० नहीं
है। अतः वाद वादी अदम हाजिरी
व अदम पैरवी में खारिज किया
जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Juhi Bhargava
Date: 2019.11.20 10:42:05 IST
Reason: SelfAttested
Location: